छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 14/01/2004

क्रमांक एफ–10 / 2 / 2004 / वाक / पॉच(3) – चूंकि, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि –

(1) निम्नलिखित व्यवसाईयों को कर के भुगतान से छूट की पात्रता संबंधित प्रकरण राज्य शासन, किसी समिति या फोरम के समक्ष विचाराधीन है :–

(1) में. इंडियन स्पेशीलीटी फेट्स लि. चौबे कॉलोनी, रायपुर
(2) में. सुनिल स्टील, उरला इण्ड. एरिया, रायपुर
(3) में. सिम्पलेक्स इंजीनीयरींग एंड फाऊंड्री वर्क्स लि., यूनिट नं. 1, भिलाई
(4) में. वंदना इण्ड., यूनिट–दो, रायपुर

(2) उपरोक्त व्यवसाईयों की छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षैत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करनिर्धारण की ऐसी कार्यवाहियां जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2003 तक पूर्ण किया जाना नियत है, 31 दिसंबर, 2003 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है।

(3) उपरोक्त सभी व्यवसाईयों का सही करनिर्धारण गुण–दोष के आधार पर उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

क्रमशः 2

अतः छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उपरोक्त व्यवसाईयों के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो 31 दिसंबंर, 2003 तक पूर्ण नही की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च, 2004 तक बढाती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

रायपुर, दिनांक 14/01/2004

क्रमांक एफ–10/ 2 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/2/2004/ वाक/पांच (3), दिनांक 14/01/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 14/01/2004

No. F-10/ 2 /2004/CT/V(3) - Whereas, the State Government is satisfied that:-

(1) The cases regarding eligibility of exemption from payment of tax to the following dealers are under consideration before State Government, any Committee or Forum:-

(1) M/s. Indian Speciality Fats Ltd., Choubey Colony, Raipur
(2) M/s. Sunil Steels, Urla Industrial Area, Raipur
(3) M/s. Simplex Engineering & Foundry Works Ltd., Unit No. 1, Bhilai
(4) M/s. Vandana Industries, Unit-II, Raipur

(2) The assessment proceedings of above dealers under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), due for completion by 31st December, 2003 under the provisions of sub-section (8) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before 31st December, 2003.

(3) Correct assessment of all above dealers on merits has to be made after affording them a reasonable opportunity of being heard;

Now, therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st March, 2004, the period for completion of every such assessment proceedings in respect of above dealers under the said Acts, which is not completed by 31st December, 2003.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 19-01-2004

क्रमांक एफ–10/29/2003/वाक/पांच (5) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2003/वाक/पांच (41) दिनांक 01.05.2003 को 20.01.2004 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 19-01-2004

क्रमांक एफ–10/29/2003/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2003/वाक/पांच (5), दिनांक 19-01-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 19 - 01 - 2004

No. F-10/ 29 /2003/CT/V(5) - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby rescinds this department notification No. F-10/29/2003/CT/V (41), dated 01.05.2003 with effect from 20.01.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 19/1/2004

क्रमांक एफ–10/ 3 /2004/वाक/पॉच(6) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक मालम (4) में वर्णित अवधि के लिए कालम (5) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	अवधि	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	एम्बुलेन्स	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2004 तक	जबकि माल का विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण पत्र के विरूद्ध छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई द्वारा "समता मंच, राजनांदगांव" को किया जाय।

परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....)

(संस्था का नाम) .... का
मैं (नाम व पद/हैसियत) ....
पता ....
यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा अधिनियम के तहत ....
.... पंजीयत क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता) ....
.... से क्रय किया गया है।

क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश / बिल / बीजक / कैश मेमो / चालान का विवरण क्रमांक	दिनांक	क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	कीमत रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... केवल

स्थान ....

दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 19/1/2004

क्रमांक. एफ–10 / 3 / 2004 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 3 / 2004 / वाक / पांच (6), दिनांक 19/1/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR
NOTIFICATION

Raipur, Dated 19/1/2004

No. F-10/ 3 /2004/CT/V(6) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995, the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to extent specified in column (3) for the period specified in column (4) subject to the restrictions and condition specified in column (5) of the said Schedule :-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Period	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Ambulance	Whole of tax u/s 9	From the date of publication in official gazette to 31.03.2004	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to "Samta Manch, Rajnandgaon" against a certificate in the appended form.

P TO

APPENDIX

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I (Name & Designation/Status) .... of (Name of the institution) .... Address .... hereby certify that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and Address of the dealer) .... holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

<u>Particulars of Goods purchased</u>

Particulars of purchase order/ Bill/Invoice/Cashmemo/Challan No.	Date	Description of goods purchased	Quantity	Value in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....
Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 11/02/2004

क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच (8) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/वाक/पॉच (70), दिनांक 12.11.2001, में राजपत्र में प्रकाशन दिनांक की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों, "प्रवर्ग (चार) " के पश्चात् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को जोडा जाए।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 11/02/2004

क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 4 /2004/वाक/पांच (8), दिनाक 11/02/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 11/02/2004

No. F-10/ 4 /2004/CT/V (8) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001, with effect from the date of publication in official gazette, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (4)(a) against serial No. 1 after the words " categories (iv)" the words "other than rounds or rods in coil form" shall be inserted.

(ii). In column (2) against serial No. 2 after the words " categories (iv)" the words " other than rounds or rods in coil form " shall be inserted.

(iii). In column (2) against serial No. 3 after the words " categories (iv)" the words " other than rounds or rods in coil form " shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 [illegible] 2004

क्रमांक एफ–10 / / /2004 / वाक / पांच (13) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को 01.4.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

अ नु सू ची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी
(1)	(2)
1.	अनुसूची–2 के भाग--पॉच के अनुक्रमांक 19 एवं 20 में विनिर्दिष्ट अनाज तथा दालें
2.	गुड
3.	पास्चुरीकृत दूध
4.	पापड, बडी, कुरूई, सेवई, फिंगर पापड तथा साबुदाना के फूल
5.	चपडी, लाख तथा किरती
6.	श्रवण यंत्र
7.	हरिकेन लालटेन, मिटटी के तेल के लैम्प, उसकी कॉच की चिमनियां तथा अन्य हिस्से
8.	मच्छरदानी
9.	नूतन स्टोव
10.	भुना चना, भुना मटर, मुरमुरा, पोहा तथा लाई
11.	चरौटा बीज, रजका बीज, बबूल बीज तथा बबूल बीज पाउडर
12.	सभी प्रकार के पी.वी.सी. से निर्मित पदत्राण तथा रबर से निर्मित चप्पल एवं उनके स्ट्रेप्स, जिनका विक्रय मूल्य प्रति जोडा सौ रूपये से अधिक न हो
13.	रजाई की सिली हुई खोल, गद्दी, तकिया तथा मसनद की सिली हुई खोल
14.	हाथ से बनाए गये कांसा, तांबा एवं पीतल के बर्तन
15.	महात्मा गांधी पर सी.डी. जो कि प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित हो
16.	सिल्क, सिल्क का कपड़ा तथा हेसियन क्लॉथ को छोडकर पावरलूम में विनिर्मित सब प्रकार का कपड़ा जिस पर सेन्ट्रल एक्साइज एंड टेरिफ एक्ट, 1985 (क्रमांक 5 सन् 1986) के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जाता या उद्ग्रहणीय नहीं है।
17.	एल्यूमिनियम के बर्तन
18.	पान के पत्ते
19.	लच्छी सूत, कोसा सूत तथा सभी प्रकार के कूकून
20.	अगरबत्ती एवं धूप
21.	हस्त निर्मित टीन की पेटी एव टीन की कोठी

22.	हस्त निर्मित माचिस
23	फ्लाइ–एश ईंटें

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13), दिनांक 23/2/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd ... 2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(13) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods
(1)	(2)
1.	Cereals and pulses as specified in serial number 19 and 20 of part V of Schedule-II
2.	Gur
3.	Pasteurised milk
4.	Papad, badi, kuldai, sewai, finger papad and sabudana ke phool
5.	Chapri, lac and kitti
6.	Hearing aids
7.	Hurricane lanterns, kerosene lamps, glass chimneys and other parts thereof
8.	Mosquito nets
9.	Nutan stove
10.	Parched grain, parched peas, murmura, poha and lai
11.	Charota seed, rajka seed, babool seed and babool seed powder
12.	All kinds of footwear made of P.V.C. and chappals made of rubber and straps thereof, the selling price of which does not exceed rupees one hundred per pair.
13.	Stitched rajai covers, stitched covers for bed, pillows and cushions
14.	Handmade utensils of kansa, copper and brass
15.	C.D. on Mahatma Gandhi produced by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
16.	All varieties of cloth excluding silk, silk cloth and hessian cloth manufactured in powerlooms on which additional excise duty is not levied or not leviable under the Central Excise and Tariff Act, 1985 (No. 5 of 1986)
17.	Aluminium utensils
18.	Betel leaves

19.	Hank yarn, kosa yarn and all kinds of cocoons
20.	Agarbatti and dhoop
21.	Hand made tin-box and tin-trunk
22.	Hand made matches
23.	Fly-ash bricks

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23rd February, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (14) -- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विर्निदिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विर्निदिष्ट सीमा तक 01.4.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:–

अ नु सू ची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	वनस्पति तथा खाद्य तेल	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
2.	किराना सामान	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
3.	घी	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
4.	दूध पाउडर	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
5.	खुली चाय	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
6.	पैकेट चाय – जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरीय इकाई हो एवं उघोग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेचा जाए।	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
7.	पका अन्न	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
8.	स्टेशनरी सामान	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
9.	सिलाई मशीन	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
10.	हेन्ड पम्प तथा उसके अतिरिक्त पुर्जे	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
11.	स्प्रिंकलर सिस्टम तथा उसके अतिरिक्त पुर्जे	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
12.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
13.	एल्यूमिनियम वायर	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
14.	चूना	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
15.	ट्रांसफारमर्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

16.	लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
17.	चकरी माल, जो अनुसूची-2 के भाग-तीन के अनुक्रमांक 14(तीन) में विनिर्दिष्ट है	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
18.	केक्स तथा पेस्ट्रीज	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
19.	सभी प्रकार के सेनेटरी माल तथा उनकी फिटिंग्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
20.	शीट्स, मसनद, तकिया, गद्दी तथा अन्य वस्तुए जो फोम रबर या प्लास्टिक फोम या अन्य सिन्थेटिक फोम से बनी हो	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
21.	पेन्टस	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
22.	इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
23.	आर.सी.सी. ह्यूम पाइप	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
24.	विस्फोटक	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
25.	केल्कुलेटर्स तथा टाईपराइटर्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
26.	मिटटी का तेल, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विक्रय किया जाये और कर निर्धारण के समय कलेक्टर अथवा इस आशय हेतु अधिकृत अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाये।	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
27.	केपरोलेक्टम्, डीएमटी तथा एमईजी	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए
28.	कॉपर वायर राड्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए
29.	कॉपर वायर जिसमें कॉपर वाइडिंग वायर सम्मिलित है	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
30.	फाउन्टेन पेन, बाल पाइन्ट या निब पेन, पेन्सिल, रबर, खुरचनी, पेन्सिल शार्पनर, रेखागणित बाक्स तथा रेखागणितीय यंत्र और बाल पाइन्ट पेन के रिफिल्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
31.	घास, सुखा घास, भूसा या हरे अथवा सूखे रूप में कोई अन्य पौधा	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
32.	पशु तथा कुक्कुट आहार	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
33.	डोडा बीज तथा डोडा भूसा	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
34.	पी.वी.सी. का बना पाईप तथा पी.वी.सी से बनी उसकी फिटिंग्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
35.	प्लाईवुड	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
36.	एयर कूलर्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
37.	मोल्डेड फर्नीचर	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए
38.	ट्रेक्टर पुर्जे को छोडकर सभी प्रकार के मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जे	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए

39.	सभी प्रकार की ईंटें जिसमें ऊष्मसह ईंट, अस्फाल्टिक रूफिंग सम्मिलित है।	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
40.	पम्पस् तथा आयल इंजन	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
41.	मोबाइल टेलीफोन हेन्डसेट	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
42.	एयर कन्डीशनर्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 12 प्रतिशत हो जाए
43.	रेफ्रीजरेटर्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 12 प्रतिशत हो जाए
44.	काष्ठ	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 12 प्रतिशत हो जाए
45.	ट्रेक्टर पार्ट्स एवं एसेसरीज	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
46.	नेल पॉलिश जिसका विक्रय मूल्य रूपये दस से अधिक न हो।	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
47.	एल्यूमिनियम एक्सट्रुडेड सेक्शन	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
48.	इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार्ट्स	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
49.	एल्यूमिनियम क्वाइल तथा एल्यूमिनियम फॉइल	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
50.	सभी प्रकार का कागज	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 February, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (14), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February 2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(14) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005 :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Vegetable and edible oil	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
2.	Kirana goods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
3.	Ghee	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
4.	Milk powder	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
5.	Loose tea	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
6.	Packet tea - when sold by a registered dealer after processing/ blending who is a small-scale unit situated in the state and registered in industries department.	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
7.	Cooked food	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
8.	Stationery goods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
9.	Sewing machines	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
10.	Hand pump and spare parts thereof	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
11.	Sprinkler system and spare parts thereof	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
12.	Computer software	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
13.	Aluminium wire	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent

14.	Lime	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
15.	Transformers	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
16.	Liquified petroleum gas	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
17.	Bakery goods as specified at serial number 14(iii) of part-III of Schedule-II	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
18.	Cakes and pastries	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
19.	All types of sanitary goods and fittings thereof	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
20.	Sheets, cushions, pillows, mattresses and other articles made of foam rubber or plastic foam or other synthetic foam	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
21.	Paints	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
22.	Electronic musical instruments	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
23.	RCC Hume pipe	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
24.	Explosives	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
25.	Calculator and type-writer	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
26.	Kerosene, when sold under the Public Distribution System and at the time of assessment a certificate to that effect, issued by the Collector or any other authority authorised for the purpose, is produced	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
27.	Caprolactum, DMT and MEG	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 1 percent
28.	Copper wire rods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 1 percent
29.	Copper wire including copper winding wire	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
30.	Fountain pens, ball point or nib pens, pencils, rubber, erasers, pencil sharpeners, geometry box and geometrical instruments and refills of ball point pens	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
31.	Grass, hay, straw or any other plant in green or dried form	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
32.	Cattle feed and poultry feed	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
33.	Poppy seed and poppy husk	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
34.	Pipes made of PVC and its fitting made of PVC	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent

35.	Plywood	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
36.	Air coolers	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
37.	Moulded furniture	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
38.	Spare parts of all kinds of motor vehicle excluding tractor parts	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent
39.	All kinds of bricks including refractory bricks, asphaltic roofing	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
40.	Pumps and oil engines	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
41.	Mobile telephone handset	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
42.	Air conditioners	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 12 percent
43.	Refrigerators	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 12 percent
44.	Timber	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 12 percent
45.	Tractor parts and accessories	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
46.	Nail Polish the selling price of which does not exceed rupees ten	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
47.	Aluminium extruded Sections	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
48.	Parts of electronic goods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
49.	Aluminium coil and aluminium foil	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
50.	All kinds of paper	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (15) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10–क के अधीन अधिभार के भुगतान से छूट प्रदान करती है:–

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	उद्‌जनित वनस्पति तेल
2.	घी
3.	पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एवीऐशन स्पिरिट तथा एवीऐशन टरबाईन फ्यूल
4.	कम्प्यूटर, कम्प्यूटर के पुर्जे तथा उपसाधन
5.	तैयार वस्त्र, होजयरी माल
6.	वनस्पति एवं खाद्य तेल
7.	ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर ट्रेलर्स को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर वाहन तथा उनके पुर्जे
8.	सभी प्रकार के मोटर वाहन के, ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खीचे जाने वाले वाहनों के टायर, ट्यूब तथा फ्लैप
9.	लुब्रीकेन्टस
10.	खुली चाय
11.	हेसीयन क्लॉथ एवं बेग, जूट की रस्सी
12.	किराना सामान
13.	पैकेट चाय – जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरीय इकाई हो एवं उघोग विभाग में पंजीयत हो द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेचा जाए।
14.	पका अन्न
15.	टेलीविजन

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23.2.2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (19), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V (15) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of surcharge under Section 10-A of the said Act for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods
(1)	(2)
1.	Hydrogenated vegetable oil
2.	Ghee
3.	Petrol, High speed diesel oil, Aviation spirit and Aviation turbine fuel
4.	Computer, computer parts and accessories
5.	Readymade garments, Hosiery goods
6.	Vegetable and edible oil
7.	All kinds of motor vehicles including tractor and tractor trailers and parts thereof
8.	Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds, of tractor and trailers and of animal drawn vehicles
9.	Lubricants
10.	Loose Tea
11.	Hessian cloth and bag, jute twine
12.	Kirana goods
13.	Packet tea - when sold by a registered dealer after processing/ blending who is a small-scale unit situated in the state and registered in industries department.
14.	Cooked food
15.	Television

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23, फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (16) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,–

सशोधन

उक्त कथित नियमों में,–

(1) नियम 5 के उपनियम (1) में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जाए

(2) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्डों (क), (ख), (ग) एवं (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,–

(क) अनुसूची–4 के अनुक्रमांक 4 पर विनिर्दिष्ट मालों के लिए	कुल बिक्री राशि का 2 प्रतिशत
(ख) अनुसूची–4 में विनिर्दिष्ट मालों के लिए, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट मालों को छोडकर	कुल बिक्री राशि का 4 प्रतिशत

(3) नियम 20 के उपनियम (1) को विलोपित किया जाए।

(4) नियम 95 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, यथा,–

(2) धारा 44 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित फीस निम्नानुसार होगी :

(i) पच्चीस लाख रूपये तक की कुल बिक्री राशि पर	शून्य
(ii) पच्चीस लाख रूपये से अधिक की कुल बिक्री राशि पर	रू. 1000 + उस राशि का 0.025 प्रतिशत जिससे वार्षिक कुल बिक्री रू. पच्चीस लाख से अधिक हो

ये संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23.2.2004

क्रमांक एफ /10-6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ /10-6 /2004/वाक/पांच (16), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V (16) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely,-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) in sub-rule (1) of rule 5, for the word "seven" the word "forty" shall be substituted.

(2) for clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (2) of rule 5 the following clauses shall be substituted, namely,-

(a) for goods specified at serial number 4 of Schedule-IV	2 percent of the amount of the turnover
(b) for goods specified in Schedule-IV, other than the goods specified in clause (a)	4 percent of the amount of the turnover

(3) sub-rule (1) of rule 20 shall be omitted.

(4) for sub-rule (2) of rule 95, the following sub-rule shall be substituted, namely,-

(2) The fee required to be paid by a registered dealer under the provisions of sub-section (2) of Section 44 shall be as under:

(i) upto the turnover of Rs. twenty five lacs	nil
(ii) turnover exceeding Rs. twenty five lacs	Rs. 1000 + 0.025 percent of the amount by which the yearly turnover exceeds Rs. twenty five lacs

These amendments shall come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(17) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 18 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अनुसूची–4 में अनुक्रमांक 4 पर विनिर्दिष्ट वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, यथा,–

4. तैयार वस्त्र तथा होजयरी जिसमें रेशमी फेब्रिक्स वस्त्र और बुने हुए वस्त्र सम्मिलित नहीं है

2. यह संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(17)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/ पांच/(17) दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(17) - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 18 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendment:-

AMENDMENT

for existing entry specified at serial number 4 in Schedule-IV, the following entry shall be substituted, namely,-

4. Readymade garments and Hosiery excluding garments of silk fabrics and knitted garments.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक २३ फरवरी, २००४

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(19) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2004" के स्थान पर अंक "2005" प्रतिस्थापित किए जाएं :–

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए–3–35–99–विक–पॉच (64)	10.07.1999
2.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (28)	13.04.2000
3.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (29)	13.04.2000
4.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (30)	13.04.2000
5.	ए–3–28–2000–विक–पॉच (36)	17.04.2000
6.	ए–3–20–2000–विक–पॉच (43)	04.05.2000
7.	ए–3–10–2000–विक–पॉच (54)	29.07.2000
8.	एफ–10–10–2001–वाक–पॉच (4)	30.03.2001
9.	एफ–10–332–2001–वाक–पॉच (37)	10.08.2001
10.	एफ–10–392/2001/वाक/पॉच (70)	12.11.2001
11.	एफ–10–7/2002/वाक/पॉच (3)	23.01.2002
12.	एफ–10–16/2002/वाक/पॉच (15)	12.02.2002
13.	एफ–10–4/2003/वाक/पॉच (4)	16.01.2003
14.	एफ–10/23/2003/वाक/पॉच (25)	03.04.2003
15.	एफ–10/23/2003/वाक/पॉच (26)	03.04.2003
16.	एफ–10/39/2003/वाक/पॉच (50)	23.05.2003
17.	एफ–10/71/2003/वाक/पॉच (101)	06.10.2003
18.	एफ–10/75/2003/वाक/पॉच (106)	29.12.2003

2. अधिसूचना क्रमांक ए–3–35–99–विक–पॉच (64) दिनांक 10.07.1999 में अनुक्रमांक 1, 2, 4(1), 5(1) तथा 5(3) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों को 01.04.2004 की प्रभावशीलता से विलोपित किया जाएगा।

3. अधिसूचना क्रमांक ए–3–28–2000–विक–पॉच (28) दिनांक 13.04.2000 में अनुक्रमांक 49 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों को 01.04.2004 की प्रभावशीलता से विलोपित किया जाएगा।

4. अधिसूचना क्रमांक ए–3–20–2000–विक–पॉच (43) दिनांक 04.05.2000 में अनुक्रमांक 1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टि को 01.04.2004 की प्रभावशीलता से विलोपित किया जाएगा।

5. अधिसूचना क्रमांक एफ–10–392/2001/वाक/पॉच (70) दिनांक 12.11.2001 में निम्नलिखित संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होंगे, –

(i) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (3) में अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (4) (ख) में शब्दों "धारा 9 के अधीन" के पश्चात् वर्णित अंक एवं शब्द "1 प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए; एवं

(iii) अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (4) (ख) में शब्दों तथा अंकों "तथा धारा 21 के अधीन 3 प्रतिशत" को विलोपित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 23. फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(19)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(19) दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(19) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENTS

1. In the notifications given below for the figure related to period "2004", the figure "2005" shall be substituted: -

S.No.	Notification No.	Date
	A-3-35-99-ST-V (64)	10.07.1999
2	A-3-28-2000-ST-V (28)	13.04.2000
3	A-3-28-2000-ST-V (29)	13.04.2000
4.	A-3-28-2000-ST-V (30)	13.04.2000
5.	A-3-28-2000-ST-V (36)	17.04.2000
6.	A-3-20-2000-ST-V (43)	04.05.2000
7.	A-3-10-2000-ST-V (54)	29.07.2000
8.	F-10-10-2001-CT-V (4)	30.03.2001
9.	F-10-332-2001-CT-V (37)	10.08.2001
10	F-10-392/2001/CT/V (70)	12.11.2001
	F-10-7/2002/CT/V (3)	23.01.2002
12.	F-10-16/2002/CT/V (15)	12.02.2002
13.	F-10/4/2003/CT/V (4)	16.01.2003
14.	F-10/23/2003/CT/V (25)	03.04.2003
15.	F-10/23/2003/CT/V (26)	03.04.2003
16	F-10/39/2003/CT/V (50)	23.05.2003
17	F-10/71/2003/CT/V (101)	06.10.2003
18	F-10/75/2003/CT/V (106)	29.12.2003

2. In notification No. A-3-35-99-ST-V (64) dated 10.07.1999, serial number 1. 2, 4(1), 5(1) and 5(3) and entries relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

3. In notification No. A-3-28-2000-ST-V (28) dated 13.04.2000, serial number 49 and entries relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

4 In notification No. A-3-20-2000-ST-V (43) dated 04.05.2000, serial umber and entry relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

5. In notification No. F-10-392/2001/CT/V (70) dated 12.11.2001, the following amendments shall come into force with effect from 01.04.2004 -

(i) In the Schedule to the said notification, in column (3) against serial No. 1 for the figure and word "1 percent" the figure and word "2 percent" shall be substituted;

(ii) In column (4)(b) against serial No. 2 for the figure and word "1 percent" mentioned before the words and figure "under section 9" the figure and word "2 percent" shall be substituted; and

(iii) In column (4)(b) against serial No. 2 the words and figures "and 3 percent under section 21" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(19) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENTS

1. In the notifications given below for the figure related to period "2004", the figure "2005" shall be substituted: -

S.No.	Notification No.	Date
	A-3-35-99-ST-V (64)	10.07.1999
2	A-3-28-2000-ST-V (28)	13.04.2000
3	A-3-28-2000-ST-V (29)	13.04.2000
4.	A-3-28-2000-ST-V (30)	13.04.2000
5.	A-3-28-2000-ST-V (36)	17.04.2000
6.	A-3-20-2000-ST-V (43)	04.05.2000
7.	A-3-10-2000-ST-V (54)	29.07.2000
8.	F-10-10-2001-CT-V (4)	30.03.2001
9.	F-10-332-2001-CT-V (37)	10.08.2001
10	F-10-392/2001/CT/V (70)	12.11.2001
	F-10-7/2002/CT/V (3)	23.01.2002
12.	F-10-16/2002/CT/V (15)	12.02.2002
13.	F-10/4/2003/CT/V (4)	16.01.2003
14.	F-10/23/2003/CT/V (25)	03.04.2003
15.	F-10/23/2003/CT/V (26)	03.04.2003
16	F-10/39/2003/CT/V (50)	23.05.2003
17	F-10/71/2003/CT/V (101)	06.10.2003
18	F-10/75/2003/CT/V (106)	29.12.2003

2. In notification No. A-3-35-99-ST-V (64) dated 10.07.1999, serial number 1. 2, 4(1), 5(1) and 5(3) and entries relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

3. In notification No. A-3-28-2000-ST-V (28) dated 13.04.2000, serial number 49 and entries relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

4 In notification No. A-3-20-2000-ST-V (43) dated 04.05.2000, serial umber and entry relating thereto shall be omitted with effect from 01.04.2004.

5. In notification No. F-10-392/2001/CT/V (70) dated 12.11.2001, the following amendments shall come into force with effect from 01.04.2004 -

(i) In the Schedule to the said notification, in column (3) against serial No. 1 for the figure and word "1 percent" the figure and word "2 percent" shall be substituted;

(ii) In column (4)(b) against serial No. 2 for the figure and word "1 percent" mentioned before the words and figure "under section 9" the figure and word "2 percent" shall be substituted; and

(iii) In column (4)(b) against serial No. 2 the words and figures "and 3 percent under section 21" shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (20) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9–ख के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:–

अनुसूची

अ.क्र.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, एवीऐशन स्पिरिट तथा एवीऐशन टरबाईन फ्यूल
2.	लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस
3.	मिट्टी का तेल

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (20), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V (20) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under Section 9-B of the said Act for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods
(1)	(2)
1.	Petrol, High speed diesel oil, Aviation spirit and Aviation turbine fuel
2.	Liquified petroleum gas
3.	Kerosene

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (21) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव

(i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17,
(ii) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 तथा
(ii) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर को छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 5, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 3 तथा छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (21), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd february, 2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(21) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by, -

(i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995),
(ii) Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), and
(iii) Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995)

the State Government hereby exempts Ramakrishna Mission Vivekanand Ashram, Raipur from the provisions of Section 5 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, Section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam and Section 3 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, for the period from 01.04.2004 to 31.03.2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10 / 6 / 2003 / वाक / पांच (23) – चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तो के अधीन 1 अप्रेल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :–

अ नु सू ची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्ते जिनके अध्ययीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्लेट पेन्सिलों तथा लहसुन के पेकिंग के लिए उपयोग में आने वाली संवेष्ठन सामग्री जबकि वह ऐसे माल के साथ बेची जाए	सम्पूर्ण कर	
2.	पीतल, तांबा तथा कांसे की चद्दरे और सर्कल एवं एल्यूमिनियम स्क्रेप से निर्मित चद्दरे तथा सर्कल	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
3.	जूट बेग्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
4.	अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में क्रय किया गया काष्ठ	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
5.	लोहा की चद्दरे	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
6.	एल्यूमिनियम से बने थर्माइट फलक्स (एल्यूमिनियम पाउडर) वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाइडिंग वायर, फॉइल, कन्डक्टर्स और एक्सट्रुडेड सेक्शन्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	

7.	खाद्य तेल एवं खली	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
8.	सायकल के पुर्जे	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
9.	अर्थ मूविंग, सडक निर्माण, सामग्री हस्तन तथा खनन उपकरण	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	
10.	इन्गॉट्स, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) की श्रेणी (दो) में वर्णित है	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
11.	तैयार वस्त्र	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
12.	जूट कपडा एवं जूट रस्सी	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	
13.	केमिकल्स	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु औघोगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
14.	ट्रांसफार्मर	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औघोगिक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रित हो।
15.	पैकेट चाय	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए।	जब पंजीकृत व्यवसाई जो राज्य में स्थित लघु स्तरिय इकाई हो एवं उघोग विभाग में पंजीयत हो, द्वारा प्रसंस्करण/ब्लेंडिंग पश्चात् बेची जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23.02.2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (23), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23.02.2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(23) - Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub section (5) of Section 8 of the Central Sales Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfillment of the requirements laid down in subsection (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st April, 2004 to 31st March, 2005 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, -

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Packing material used for packing of slate pencils and garlic when sold along with such goods	Whole of tax	
2.	Sheets and circles of brass, copper and kansa and sheets and circles manufactured out of aluminium scrap	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
3.	Jute bags	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
4.	Timber, purchased in the course of inter-state trade or commerce	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
5.	Iron sheets	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
6.	Thermite flux (Aluminium powder) wires, cables, strips, winding wire, foil, conductors and extruded sections made of aluminium	Partly . so as to reduce the rate of tax to 2 percent	

7.	Edible oil and oil cake	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent	
8.	Cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
9.	Earth moving, road constructions, material handling and mining equipments	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent	
10.	Ingots, as specified in category (ii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
11.	Readymade garments	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
12.	Jute cloth and jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
13.	Chemicals	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent	When manufactured and sold by small-scale industries situated in Chhattisgarh State.
14.	Transformer	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh State
15.	Packet Tea	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	When sold by a registered dealer after processing/blending, who is a small-scale unit situated in the State and registered in industries department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक [illegible] फरवरी, 2004

क्रमांक एफ-10/ (/2004/वाक/पांच (25) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	शर्तें एवं निर्बन्धन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नारियल	सम्पूर्ण कर	
2.	सिलाई मशीन	सम्पूर्ण कर	
3.	आटा, मैदा, सूजी तथा चोकर	सम्पूर्ण कर	
4.	छत्तीसगढ़ में स्थित लघु उधोग द्वारा निर्मित माल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में किसी लघु उधोग द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
5.	अनुसूची–2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में अगरबत्ती निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभाग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
6.	पेट्रोल, डीजल आयल, एवीएशन स्प्रीट तथा एवीएशन टरबाईन फ्यूल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो।
7.	पेट्रोल डीजल आयल, फर्नेस आयल, एवीएशन स्पिरिट, एवीएशन टरबाईन फ्यूल तथा फायर ब्रिक्स	सम्पूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो।
8.	कम्प्यूटर, कम्प्यूटर पार्ट्स तथा एसेसरीज	सम्पूर्ण कर	
9.	तैयार वस्त्र, तैयार सूती होजयरी, बुने हुए सूती वस्त्र तथा तैयार नायलोन होजयरी	सम्पूर्ण कर	
10.	सभी प्रकार के मोटर वाहन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो।

[illegible]	[illegible]	[illegible] प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाय	
12	शक्कर जिसमें खाण्डसारी तथा ताडगुड सम्मिलित है	अशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाय	
13	कोल्ड रोल्ड क्वाइल्स	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से राज्य के बाहर निर्यात के लिए कोल्ड रोल्ड क्वाइल्स के निर्माण में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
14	केन वास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी.वी.सी. केसिंग पाईप	अशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाय	जब छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो।
15.	फ्लाई–ऐश	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो।
16.	धान तथा चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो।
17.	हेसियन क्लॉथ	सम्पूर्ण कर	
18.	कच्चा ऊन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
19.	सभी प्रकार के मोटर वाहन के, ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के टायर, ट्यूब तथा फ्लेप	सम्पूर्ण कर	
20	ट्रेक्टर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जे	सम्पूर्ण कर	

	निकला हुआ [illegible], शल्क [illegible], फीड सप्लीमेन्ट्स (दवाईयां) तथा खली		जब स्थानीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों द्वारा उनके कुक्कुट फार्म में उपभोग के लिए कुक्कुट आहार के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
22.	लुब्रीकेन्ट्स	सम्पूर्ण कर	
23.	चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में भारतीस खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो।
24.	खुली चाय	सम्पूर्ण कर	
25.	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में निर्मित न हो	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाय	
26.	जूट जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (v) में वर्णित है	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
27.	वनस्पति तथा खाद्य तेल	सम्पूर्ण कर	
28.	किराना सामान	सम्पूर्ण कर	
29.	बबूल बीज	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
30.	लाख	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो।
31.	पूंजीगत माल, स्टील तथा सीमेंट	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा द्वारा अपने संयंत्र के विस्तारीकरण के लिए प्रवेश कराया गया हो।
32.	टेलीविजन	सम्पूर्ण कर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (25), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23-2-2004

No. F-10/ 6 / 2004/CT/V (25) - In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01.04.2004 to 31.03.2005, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Coconut	Whole of tax	
2.	Sewing machine	Whole of tax	
3.	Atta, maida, suji and wheat bran	Whole of tax	
4.	Goods manufactured by small scale industries situated in Chhattisgarh State	Whole of tax	When entered into a local area by any small scale industries for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
5.	Goods specified in Schedule-II and III	Whole of tax	When entered into a local area for use or consumption as raw material in the manufacture of agarbatti.
6.	Petrol, diesel oil, aviation spirit and aviation turbine fuel	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam for sale.
7.	Petrol, diesel oil, furnace oil, aviation spirit, aviation turbine fuel and fire bricks	Whole of tax	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam from another registered dealer under the said Adhiniyam for consumption or use in a local area.
8.	Computer, computer parts and accessories	Whole of tax	
9.	Readymade garments, readymade cotton hosiery, cotton knitted garments and readymade nylon hosiery	Whole of tax	

10.	All kinds of motor vehicles	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam for sale.
11.	All varieties of cloth as specified in entry 8 of Schedule-II	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
12.	Sugar including khandsari and palmyra	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	
13.	Hot rolled coils	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam from outside the State of Chhattisgarh for use in the manufacture of cold rolled coils for export outside the State.
14.	Cane basket, drill rod and PVC casing pipe	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam from another registered dealer under the said Adhiniyam for consumption or use in a local area.
15.	Fly-ash	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam from any local area within Chhattisgarh State
16.	Paddy and rice	Whole of tax	When entered into a local area from any local area within Chhattisgarh State
17.	Hessian cloth	Whole of tax	
18.	Raw wool	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam for use or consumption in the manufacture of goods for sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.
19.	Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds, of tractor and trailers and of animal drawn vehicles	Whole of tax	
20.	Spare parts of all kinds of motor vehicle including tractor	Whole of tax	

21.	Maize, broken rice, fish, de-oiled rice bran, shell grid, feed supplements (medicines) and de-oiled cake	Whole of tax	When entered into a local area by poultry farmers for use as raw material in the manufacture of poultry feed for consumption in their poultry farm.
22.	Lubricants	Whole of tax	
23.	Rice	Whole of tax	When entered into a local area by Food Corporation of India for sale under public distribution system.
24.	Loose tea	Whole of tax	
25.	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent	
26.	Jute as specified in clause (v) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
27.	Vegetable and edible oil	Whole of tax	
28.	Kirana goods	Whole of tax	
29.	Babool seed	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
30.	Lakh	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
31.	Capital goods, Steel and Cement	Whole of tax	When entered into a local area by Bharat Aluminium Company Limited, Korba for expansion of its plant.
32.	Television	Whole of tax	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (26)–छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (1976 का क्रमांक 52) की धारा 4–ए की उपधारा (1) के अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–376–2001–वाक–पांच (52), दिनांक 14.09.2001 को 01.04.2004 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 / 2004/वाक/पांच (26), दिनांक 23.02.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23rd February, 2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(26) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby rescinds this department notification No. F-10-376-2001-CT-V (52), dated 14.09.2001, with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक एफ–10/6 /2004/वाक/पांच/(35) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (14) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 50 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अन्तर्स्थापित की जाएं :–

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
51.	शीरा	अशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाए

2. यह संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 28 फरवरी, 2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(35)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(35) दिनांक 28 फरवरी 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 28 Feb 2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(35) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V (14) dated 23.02.2004, after entry number 50 the following entry shall be inserted: -

S.No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of exemption (3)
51	Molasses	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8 percent

2. This amendment shall come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 28.2.2004

क्रमांक एफ–10/ 11 /2004/वाक/पांच (37) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 5 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–5–1–94–विक–पांच (19) दिनांक 01.04.1995 को 01.04.2004 को प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 28.2.2004

क्रमांक एफ–10/ 11 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/ 11 / 2004/ वाक/पांच (37), दिनांक 28.2.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 28. 2. 2004

No. F-10/ 11 /2004/CT/V(37) - In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (5) of Section 5 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby rescinds this department notification No. A-5-1-94-ST-V (19), dated 01.04.1995 with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 25/05/2004

क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच (49) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/वाक पॉच (70), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है, यथा, –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 3 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अन्तरर्थापित की जाए :–

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धनों एवं शर्तो जिसके अध्ययीन छूट स्वीकार की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोडकर तथा (पॉच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स तथा प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स एवं इनके छोर की कटिंग्स	अशतः इस प्रकार कि जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाये	जबकि माल का विक्रय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसाई द्वारा किया जाए, जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दे कि :– (क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में किया गया ; (ख) उक्त माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित माल, जिनका क्रय ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अधीन कर का भुगतान नहीं किया गया था, से निर्मित किया गया है।

2. यह संशोधन 01.04.2004 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 25/5/2004

क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच (49), दिनांक 25/5/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 25/05/2004

No. F-10/ 4 /2004/CT/V (49) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001, namely, -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification after entry number 3 the following entry shall be inserted:-

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Iron and steel as specified in categories (iv) other than rounds or rods in coil form, (v), hoops and strips falling in category (vi) and fish plate bars and bearing plate bars falling in category (xiii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and end cuttings thereof	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of assessment that: (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh ; (b) they were manufacture out of such goods belonging to categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) that had been purchased in the circumstances in which no tax under Section 9 of the Adhiniyam was paid.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/(51) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (14) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 51 के पश्चात् निम्न प्रविष्टियां अन्तर्स्थापित की जाएं :–

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
52.	नारियल	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
53.	वनस्पति घी	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
54.	तैयार वस्त्र तथा होजयरी माल	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
55.	5 अश्व शक्ति तक के पम्पस्	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
56.	जूट कपड़ा तथा बेग, जूट रस्सी	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए
57.	बेयरिंग	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
58.	पी.वी.सी. की चद्दर तथा वस्त्र	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए
59.	लोहा तथा इस्पात से बने सब–स्टेशन स्ट्रक्चर्स, ट्रांसमिशन लाइन फिटिंग्स तथा स्ट्रक्चर्स, रेल्वे विद्युतीकरण के लिए मास्ट तथा स्ट्रक्चर्स, रेल्वे ट्रेक फिटिंग्स, वेगन तथा कोच फिटिंग्स, क्लेम्पस, स्टे सेट्स तथा फास्टनर्स	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

2. यह संशोधन दिनांक 01.07.2004 से प्रभावशील होगा।

रायपुर दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/(—)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/(51) दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस.मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No.F-10/6/2004/CT/V (51) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V (14) dated 23.02.2004, after entry number 51 the following entries shall be inserted: -

S.No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of exemption (3)
52.	Coconut	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
53.	Hydrogenated vegetable oil	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
54.	Readymade garments and Hosiery goods	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
55.	Pumps upto 5 Horse Power	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
56.	Hessian cloth and bags, Jute twine	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 2 percent
57.	Bearing	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
58.	Sheets and fabrics of PVC	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent
59.	Sub-station structures, transmission line fittings and structures, mast and structures for railway electrification, railway track fittings, wagon and coach fittings, clamps, Stay Sets and fasteners made of Iron & Steel	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent

2. This amendment shall come into force with effect from 01.07.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/(52) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 23 के पश्चात् निम्न प्रविष्टियां अन्तर्स्थापित की जाएं :–

अ.क्र.	वस्तुओं की श्रेणी
(1)	(2)
24.	200 रूपये प्रति नग तक के मूल्य के नजर के चश्मे
25.	साल–बीज, महुआ–बीज तथा नारियल को छोडकर तिलहन

2. यह संशोधन 01.07.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस.मिश्र)
सचिव

रायपुर दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/( )–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच/(52) दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस.मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No.F-10/6/2004/CT/V(52) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V (13) dated 23.02.2004, after entry number 23 the following entries shall be inserted: -

S.No. (1)	Class of Goods (2)
24.	Spectacles of the value upto Rs. 200/- per piece
25.	Oilseeds, excluding Sal-seed, Mahua-seed and Coconut

2. This amendment shall come into force with effect from 01.07.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (53) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची दो के भाग पॉच की प्रविष्ट 48 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–45–2000–विक–पॉच (75) दिनांक 28.09.2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मालों की सूची में प्रविष्टि क्रमांक 177 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अंतर्स्थापित की जाए –

178. सूखा मेवा

2. यह संशोधन दिनांक 01.07.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (53), दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(53) - In pursuance of the requirement made in entry 48 of part V of Schedule II of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby, amends this department's Notification No. A-3-45-2000-ST-V (75) dt. 28-09-2000, as given below :-

AMENDMENT

In the said notification in the list of goods after entry number 177, the following entry shall be inserted -

178. Dry fruit

2. This amendment shall come into force with effect from 01-07-2004.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच/(54) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच (14) दिनांक 23.02.2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 11 के सामने कालम (3) में अंक "4" के स्थान पर अंक "2" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.07.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

रायपुर दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच/(——)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2004/वाक/पांच (54) दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No.F-10/6/2004/CT/V(54) - In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments in the notification number F-10/6/2004/CT/V (14) dated 23.02.2004 :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (3) against serial number 11, for the figure "4" the figure "2" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.07.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (56) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना कमांक ए–5–1–94–विक–पॉच (22) दिनांक 01.04.1995 में निम्नानुसार संशोधित करती है –

संशोधन

अधिसूचना की अनुसूची में –

(क) अनुक्रमांक 8 के सामने कालम (2) में अंक एंव शब्द "2 प्रतिशत" के स्थान पर शब्दों "शून्य प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) प्रविष्टि क्रमांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतरर्थापित की जाए –

10. प्लास्टिक/पी.वी.सी. ग्रेन्यूल, जब एच.डी.पी.ई. बैग्स के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाए – शून्य प्रतिशत

2. ये संशोधन 01.07.2004 से प्रभावशील होगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

रायपुर, दिनांक 30.06.2004

कमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (56), दिनांक 30.06.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30.06.2004

No. F-10/6/2004/CT/V (56) - In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in the notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 01.04.1995: -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i) in column (2) against serial number 8 for the figure and word "2 percent" the words "Zero percent" shall be substituted.

(ii) after entry number 9, the following entry shall be inserted -

10. Plastic/PVC granules, when used as raw material in the manufacture of HDPE bags - Zero percent

2. These amendments shall come into force with effect from 01.07.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.

(D.S. Misra)
Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23.07.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पॉच (60) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची दो के भाग पॉच की प्रविष्ट 48 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–3–45–2000–विक–पॉच (75) दिनांक 28.09.2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में मालों की सूची में अनुक्रमांकों 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 65, 67, 73, 77, 78, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 148, 152, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 01.08.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23.07.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/ वाक/पांच (60), दिनांक 23.07.2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23.07.2004

No. F-10/6/2004/CT/V (60) - In pursuance of the requirement made in entry 48 of part V of Schedule II of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby, amends this department's Notification No. A-3-45-2000-ST-V (75) dt. 28-09-2000, as given below :-

AMENDMENT

In the said notification in the list of goods serial numbers 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 65, 67, 73, 77, 78, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 148, 152, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 and entries relating thereto shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-08-2004.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23.07.2004

क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (61) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विर्निदिष्ट लघु वनोपज को 01.08.2004 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से अशतः इस प्रकार छूट प्रदान करती है जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए, :–

अ नु सू ची

अ.क्र.	लघु वनोपज
(1)	(2)
1.	आंवला
2.	आंवला सार
3.	अकलकरा
4.	अमलतास
5.	असगंध
6.	बागची बीजा
7.	बहेड़ा
8.	बायबिडंग
9.	बालछाड
10.	बांसलोचन
11.	बेलगुदा
12.	भारंगी
13.	भिलामा
14.	छबीला फूल
15.	चिरायता
16.	चिरौंजी

17.	चिरौंजी बीज	
18.	चोबचीनी	
19.	धावड़ी फूल	
20.	गोखरू	
21.	गुगल	
22.	गोंद	
23.	हर्रा	
24.	शहद	
25.	इमली	
26.	ईसबगोल	
27.	कायफल	
28.	काकोडी	
29.	काला दाना	
30.	कलंजन	
31.	कमरकस	
32.	कपूर कचरी	
33.	कासनी	
34.	खस	
35.	खतमी	
36.	कुटकी	
37.	लाखदाना	
38.	लाखपत्री	
39.	माजुफल	
40.	महुआ फूल	
41.	मैदा लकड़ी	
42.	मको	
43.	मालकांगनी	
44.	मरोड़फली	
45.	मुलेठी	
46.	मूसली सफेद	
47.	नागर मोथा	
48.	पलास का फूल	
49.	पठानी लोध	
50.	फूल गुलाब	
51.	पीपलाबड़ी	
52.	राल	
53.	रतनजोत	
54.	रीठा	

55.	रोमल मूसली
56.	सालमपंजा
57.	सर्पगंधा
58.	शतावर
59.	शिलाजीत
60.	शिलारस
61.	शीतल चीनी
62.	शिकाकाई
63.	तगरगटना
64.	इमली बीज
65.	तेजबल
66.	मोम

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23.07.2004

क्रमांक एफ–10 / 6 / 2004 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 6 / 2004 / वाक / पांच (61), दिनांक 23.07.2004का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23.07.2004

No. F-10/ 6/2004/CT/V (61) - In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts the following minor forest produce specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent under the said Act for the period from 01.08.2004 to 31.03.2005 :-

SCHEDULE

S. No.	Name of minor forest produce
(1)	(2)
1.	Aawala
2.	Aawala Saar
3.	Akalkara
4.	Amaltas
5.	Asagandh
6.	Bagchibeeja
7.	Baheda
8.	Baibidang
9.	Balchhad
10.	Bansalochan
11.	Belguda
12.	Bharangi
13.	Bhilama
14.	Chhabila Phool
15.	Chirayata
16.	Chironji
17.	Chironji Seed
18.	Chobchini
19.	Dhavadi Phool
20.	Gokhro
21.	Gugal
22.	Gum
23.	Harra
24.	Honey
25.	Imli (Tamarind)
26.	Isabgol
27.	Kaiphal
28.	Kakodi

29.	Kala Dana
30.	Kalanjan
31.	Kamarkas
32.	Kapoor Kachri
33.	Kasni
34.	Khas
35.	Khatmi
36.	Kutki
37.	Lakhdana
38.	Lakhpatri
39.	Majuphal
40.	Mahua Flower
41.	Maida lakdi
42.	Mako
43.	Malkangni
44.	Marodphali
45.	Mulethi
46.	Musli safed
47.	Nagar Motha
48.	Palas Ka Phool
49.	Pathani Lodh
50.	Phool Gulab
51.	Piplabadi
52.	Raal
53.	Ratanjot
54.	Reetha
55.	Romal Musli
56.	Salampanja
57.	Sarpgandha
58.	Shatavar
59.	Shilajit
60.	Shilaras
61.	Shitalchini
62.	Sikakai
63.	Tagaragatna
64.	Tamarind Seed
65.	Tejbal
66.	Wax

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23-07-2004

क्रमांक एफ–10/ 18 /2004/वाक/पॉच(62) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक मालम (4) में वर्णित अवधि के लिए कालम (5) में दिये गये निर्बधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :–

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	अवधि	निर्बधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	एम्बुलेन्स	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31.03.2005 तक	जबकि माल का विक्रय संलग्न प्रारूप में दिये प्रमाण पत्र के विरूद्ध छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई द्वारा "श्री बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति, डोंगरगढ़" को किया जाय।

परिशिष्ट

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....)

(संस्था का नाम) .... का
मैं (नाम व पद/हैसियत) ....
पता ....
यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित माल मेरे द्वारा अधिनियम के तहत ....
.... पंजीयत क्रमांक धारक (व्यवसायी का नाम व पता) ....
.... से क्रय किया गया है।

क्रय माल का विवरण

क्रय आदेश / बिल / बीजक / कैश मेमो / चालान का विवरण क्रमांक	दिनांक	क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	कीमत रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल कीमत (अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) रूपये .... केवल

स्थान ....

दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सीट एवं हैसियत सहित

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23/07/2004

क्रमांक. एफ–10 / 18 / 2004 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 18 / 2004 / वाक / पांच (62), दिनांक 23/7/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23/07/2004

No. F-10/ 18/2004/CT/V(62) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995, the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to extent specified in column (3) for the period specified in column (4) subject to the restrictions and condition specified in column (5) of the said Schedule :-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Period	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Ambulance	Whole of tax u/s 9	From the date of publication in official gazette to 31.03.2005	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to "Shri Bamleshwari Mandir Trust Samiti, Dongargarh" against a certificate in the appended form.

क्रमशः .. 2.

APPENDIX

(Under C.T.D. Notification No. .... Dated ....)

I (Name & Designation/Status) .... of (Name of the institution) .... Address .... hereby certify that the goods, particulars of which have been given below, have been purchased from (Name and Address of the dealer) .... holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

Particulars of Goods purchased

Particulars of purchase order/ Bill/Invoice/Cashmemo/Challan No.	Date	Description of goods purchased	Quantity	Value in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status.

By the order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27/07/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (66) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (13) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 25 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अन्तर्स्थापित की जाएं :–

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)
26.	औषधीय ऑक्सीजन

2. यह संशोधन 01.08.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (—)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (66) दिनांक 27/07/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 27/07/2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(66) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V (13) dated 23.02.2004, after entry number 25 the following entries shall be inserted: -

S.No. (1)	Class of Goods (2)
26.	Medicinal Oxygen

2. This amendment shall come into force with effect from 01.08.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23/09/2004

No. F-10/ 29 /2004/CT/V(69) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby exempts Departments, Organisations, undertakings of Central or State Government and Joint venture of Public sector undertakings from furnishing of declaration under Sub-section (5) of Section 45-A of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994, from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23/09/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (70) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 9–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए–5–1–94--विक–पांच (37) दिनांक 01.05.1995 को 04.09.2004 की प्रभावशीलता से विखंडित करती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23/09/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 / 2004/ वाक/पांच (70), दिनांक 23/9/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23/09/2004

No. F-10/ 6 /2004/CT/V(70) - In exercise of the powers confe by section 9-A of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 1995), the State Government hereby rescinds this department notificat No. A-5-1-94-ST-V (37), dated 01.05.1995, with effect from 04.09.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 23/09/2004

क्रमांक एफ-10/ 6 /2004/वाक/पांच (71) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा,–

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 46 के उपनियम (3) को विलोपित किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 04.09.2004 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 23/09/2004

क्रमांक एफ/ 6/2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/10/6/2004/वाक/पांच (71), दिनांक 23/9/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 23/09/2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V (71) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely,-

AMENDMENT

In the said rules, sub-rule (3) of rule 46 shall be omitted.

2. This amendment shall deemed to have come into force with effect from 04.09.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 06/10/2004

क्रमांक एफ–10/ 31 /2004/वाक/पांच (75) – छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,–

संशोधन

उक्त कथित नियमों में, नियम 8 के उपनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप 4 के स्थान पर संलग्न प्ररूप 4 प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 01.10.2004 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 06/10/2004

क्रमांक एफ/ 31 /2004/वाक/पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 31 /2004/वाक/पांच (75) दिनांक 6/10/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

प्रारूप–4

प्रति,

वाणिज्यिक कर अधिकारी

.................................वृत्त

कृपया फोटो यहां चिपकायें

1.	फर्म / व्यवसाय का नाम, पूर्ण पता एवं फोन नम्बर	
2.	किन वस्तुओं में व्यवसाय करते हैं	
3.	व्यवसाय का स्वामित्व (एकल स्वामित्व / भागीदारी / सार्वजनिक या प्रा.लि.कंपनी / अन्य)	
4.	कारोबार का स्वरूप (आयाता / निर्माता / संकर्म / संविदाकार / अन्य	
5.	कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों की विशिष्टियां	

नाम	पिता का नाम	उम्र	घर का पता	कारबार में हित की सीमा	हस्ताक्षर

6.	कारबार प्रारंभ करने की तारीख	
7.	कारबार प्रारंभ तारीख से आवेदन की तारीख तक कुल विक्रय राशि	
8.	कुल विक्रय राशि कर दायित्व सीमा से अधिक होने की तारीख	
9.	कारबार परिसर के बारे में विशिष्टियां (स्वामित्व या किराये पर है)	
10.	आयकर विभाग का स्थायी पंजीयन कमांक तथा वार्ड का नाम	
11.	बैंकों का नाम, पता, तथा खाता कमांक	
12.	व्यापार के अतिरिक्त स्थान का नाम व पता (यदि कोई हो)	
13.	गोदामों / भंडागारों की विशिष्टियां	
14.	कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों के स्वामित्व की अचल संपत्ति की विशिष्टियां	
15.	निम्न में से किन्ही दो के पहचान प्रमाण पत्र संलग्न करें– (क) छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (ख) व्यवसाय से संबंधित व्यवसायिक संगठन (ग) व्यवसाय क्षेत्र में उपरोक्त संगठन न होने पर दो पंजीयत व्यवसायी के	

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.........
पदनाम..........

––––00––––

यदि आवेदक निर्माता हो तो निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी दें :–

1..	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख	
2.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख को पूंजी विनियोजन– (क) भूमि .... (ख) भवन .... (ग) प्लांट एवं मशीनरी.................	
3.	विनियोजित पूंजी का स्रोत – (क) कारबार में हित रखने वाले व्यक्तियों का अंशदान .... (ख) वित्तीय संस्थाओं से लिये गये उधार......................	
4.	विनिर्माण में उपयोग के लिये अपेक्षित कच्चा माल / आनुषगिक माल एवं संवेष्टन सामग्री (विस्तृत सूची संलग्न कीजिये)	
5.	कच्चे माल के प्रथम कय की तारीख	
6.	विनिर्मित माल, उप–उत्पाद, तथा वेस्ट प्रोडक्ट्स का विवरण (विस्तृत सूची संलग्न कीजिये)	

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर.........
पदनाम..........

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 06/10/2004

No.F-10/ 31 /2004/CT/V (75) - In exercise of the powers conferred by section 80 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Vanijyik Kar Niyam, 1995, namely,-

AMENDMENT

In the said rules, in place of Form 4 prescribed under sub-rule (1) of rule 8 the appended Form 4 shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.10.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

Form-4

To,
The Commercial Tax Officer
Circle---------------------------

Please affix photo here

1	Name,address and phone number of Firm/business	
2	Commodities in which deals	
3	Status of business(proprietorship/partnership/public or Pvt. Ltd. company/others	
4	Nature of business (importer/manufacturer/work contractor/other)	
5	Particulars of the persons having interest in the business Name / Father's name / Age / Home address / Extent of Interest in business / Signature	
6	Date of commencement of business	
7	Turnover from the date of commencement of business to the date of application	
8	Date on which turnover exceeds the liability limit	
9	Particulars about the business premises (whether owend or taken on rent)	
10	Income- tax P.A.N. and ward name	
11	Bank's name, address and account number	
12	Name and address of the additional places of business (if any)	
13	Particulars of godowns/warehouses	
14	Particulars of immovable property owned by the persons having interest in the business	
15	Enclose two identification certificates from any of the followings – (a) Chhattisgarh Chamber of Commerce and Industries (b) Business organisations relating to business (c) Two registered dealers where above organisations do not exit in business area	

Place
Date

Signature ....
Designation ....

-----00-----

Provice the following additional information, if the applicant is a manufacturer

1	Date of commencement of commercial production	
2	Capital investment on the date of commencement of commercial production- (a) Land.. (b) Building.................................... (c) Plant and machinery....................	
3	Source of capital invested- (a) contribution of persons having interest in the business .... (b) Borrowing from the financial institutions	
4	Raw material/incidental goods and packing material required for use in manufacture (enclose detailed list)	
5	Date of first purchase of raw material	
6	Description of goods manufacured , by–productsand waste products (enclose detailed list)	

Place
Date

Signature ....
Designation ....

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 13/10/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(77) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए–3–28–2000–वि.क.–पांच (28) दिनांक 13.04.2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है --

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) में शब्दों "यह कम की हुई दर" के पश्चात् शब्दों "संकर्म संविदा के निष्पादन में विक्रय किए गए माल तथा" अंतर्स्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 01.11.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 13/10/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/ ----भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच (77) दिनांक 13/10/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 13/10/2004

No.F-10/ 6 /2004/CT/V(77) - In exercise of the powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments in the notification number A-3-28-2000-ST-V (28) dated 13.04.2000:-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification, in column (4) against serial number 1, after the words "This reduced rate will not be applicable to" the words "the sale of goods in the execution of a works contract and" shall be inserted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01.11.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

krmisra
(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 13/10/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(78) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक/पांच (14) दिनांक 23.02.2004 में प्रविष्टि क्रमांक 59 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि अन्तर्स्थापित की जाएं :–

अ.क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
60.	ईंट, बोल्डर, गिट्टी, रेत एवं मुरम	अंशतः इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए

2. यह संशोधन दिनांक 01.11.2004 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर दिनांक 13/10/2004

क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/ ––भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 6 /2004/वाक/पांच/(78) दिनांक 13/10/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhavan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 13/10/2004

No.F-10/6 /2004/CT/V (78) - In exercise of Powers conferred by section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam 1994 (No.5 of 1995) the state government hereby makes the following amendments:-

AMENDMENT

In the notification number F-10/6/2004/CT/V (14) dated 23.02.2004, after entry number 59 the following entry shall be inserted: -

S.No. (1)	Class of Goods (2)	Extent of exemption (3)
60.	Bricks, Boulder, Gitti, Sand and Murum	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4 percent

2. This amendment shall come into force with effect from 01.11.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/33/2004/वाक./पांच (80)– छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमाक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक ए–3–28–2000–विक–पांच (30), दिनांक 13.04.2000, में निम्नानुसार संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 5 के सामने कालम (3) में शब्द तथा अंक "धारा 9" के पश्चात शब्दों व अंक "तथा धारा 10" को अंतर्स्थापित किया जाये।

2. यह संशोधन 01.04.2000 की प्रभावशीलता से प्रभावशील माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/33/2004/वाक./पांच (80)– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/33/2004/वाक./पांच (80), दिनांक 30/10/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 30 / 10/ 2004

No F -10 / 33 / 2004 / CT / V (80)- In exercise of powers conferred by section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. A-3-28-2000-ST-V (30), dated 13.04.2000 -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification in column (3) against serial No. 5 after the word and figure "Section 9" the words and figure "and Section 10" shall be inserted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2000.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(D.S. MISRA)
Secretary
Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/33/2004/वाक./पांच (81)-- चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव

(i) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17,
(ii) केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 10/392/2001/वाक./पांच (70), दिनांक 12.11.2001 की अनुसूची के अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) में विनिर्दिष्ट मालों को छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 9 तथा केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों तथा निर्बन्धों के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है –

(i) ऊपर वर्णित माल अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/वाक./पांच (70), दिनांक 12.11.2001 की अनुसूची के अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (2) में विनिर्दिष्ट मालों जिस पर 1 प्रतिशत की दर से कर लग चुका हो तथा 01.04.2004 को स्टॉक में हो, से निर्मित हो, तथा

(ii) व्यवसाई द्वारा ऐसे मालों के क्रय मूल्य पर, क्रय के समय लगे कर के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से कर चुकाया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/33/2004/वाक./पांच (81)– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/33/2004/वाक./पांच (81), दिनांक 30/10/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE AND PLANNING DEPARTMENT
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, dated 30 / 10/ 2004

No F -10 / 33 / 2004 / CT / V (81)- Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by, -

(i) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995),

(ii) Sub-Section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)

the State Government hereby exempts the goods specified in column (2) against serial number 2 of Schedule to the notification number F-10/392/2001/CT/V (70) dated 12.11.2001 from payment of tax under section 9 of the Chhattisgarh Vanijiyik Kar Adhiniyam and the Central Sales Tax Act, subject to the following restrictions and conditions -

(i) the above-mentioned goods were manufactured out of the goods specified in column (2) against serial number 1 of Schedule to the notification number F-10/392/2001/CT/V (70) dated 12.11.2001, which had borne tax at the rate of 1 percent and held in stock as on 01.04.2004, and

(ii) the dealer, in addition to the tax levied at the time of purchase, pays the tax at the rate of 1 percent under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam on purchase price of such goods.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(D.S. MISRA)
Secretary
Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/6/2004/वाक./पांच (82)– छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए–3–28–2000–वि.क.–पांच (28), दिनांक 13.04.2000 में 01.11.2004 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 5 के सामने कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धों तथा शर्तों के अंत में निम्नलिखित वाक्य अंतर्स्थापित किया जाये :–

"यह कम की हुई दर संकर्म संविदा के निष्पादन में विक्रय किये गये माल पर लागू नहीं होगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

रायपुर, दिनांक 30/10/2004

क्रमांक एफ 10/6/2004/वाक./पांच (82)– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/6/2004/वाक./पांच (82), दिनांक 30/10/2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(डी.एस. मिश्र)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10/11/2004

क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच (85) – छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/392/2001/वाक/पॉच (70), दिनांक 12.11.2001, में निम्नानुसार संशोधन करती है –

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

(i). अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (4) (क) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(ii). अनुक्रमांक 2 के सामने कालम (2) मे् शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

(iii). अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में शब्दों "गोल अथवा रॉड क्वायल रूप में छोड़कर" को विलोपित किया जाए।

2. उक्त संशोधन 11.02.2004 से प्रभावशील माने जायेंगे।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 10/11/2004

क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/4/2004/वाक/पांच (85), दिनांक 10/11/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 10-11-2004

No. F-10/ 4 /2004/CT/V (85) - In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this department Notification No. F-10/392/2001/CT/V (70), dated 12.11.2001 -

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification -

(i). In column (4)(a) against serial No. 1, the words "other than rounds or rods in coil form" shall be omitted.

(ii). In column (2) against serial No. 2, the words " other than rounds or rods in coil form " shall be omitted.

(iii). In column (2) against serial No. 3, the words " other than rounds or rods in coil form " shall be omitted.

2. These amendments shall be deemed to have come into force with effect from 11.02.2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R.Misra)
Deputy secretary

छत्तीसगढ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 29/12/2004

क्रमांक एफ–10/ 38 /2004/वाक/पांच (88) – चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि :–

(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अंतर्गत करदायी व्यवसाईयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनका करनिर्धारण सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाना है;

(2) ऐसे व्यवसाईयों एवं उनके करनिर्धारण प्रकरणों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप ऐसे व्यवसाईयों का उक्त अधिनियमों के अधीन करनिर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि नही हुई है;

(3) ऐसे सभी व्यवसाईयों जिनकी करनिर्धारण कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत कलैन्डर वर्ष 2004 के अंत तक पूर्ण किया जाना नियत है, कलैन्डर वर्ष 2004 की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जाना है;

(4) ऐसे सभी व्यवसाईयों का सही करनिर्धारण गुण–दोष के आधार पर उक्त प्राधिकारियों द्वारा उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए किया जाना है;

(5) उक्त प्राधिकारियों द्वारा ऐसे करनिर्धारण की कार्यवाहियों को कलैन्डर वर्ष 2004 के अंत तक पूर्ण किये जाने के प्रयासों के उपरांत भी उक्त अवधि के अंत तक ऐसी कार्यवाहियां पूर्ण किया जाना संभव नही है;

(6) उपरोक्त कार्यवाहियों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः . . 2

अतः छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा प्रत्येक व्यवसाई के संबंध में उक्त अधिनियमों के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक करनिर्धारण कार्यवाहियां जो सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के समक्ष लंबित हो, जो 31 दिसम्बर, 2004 तक पूर्ण नही की जाती हैं, पूर्ण करने की अवधि 31 जनवरी, 2005 तक बढाती है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 29/12/2004

क्रमांक एफ–10 / 38 / 2004 / वाक / पांच–भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10 / 38 / 2004 / वाक / पांच (88), दिनांक 29/12/04 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 29/12/2004

No. F-10/ 38 /2004/CT/V(88) -Whereas, the State Government is satisfied that,-

(I) There has been considerable increase in the number of dealers liable to pay tax under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), who are to be assessed by Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer;

(II) There has been no increase in the number of authorities competent to make assessment of such dealers under the said Acts, commensurate with the increase in the number of such dealers and their assessment cases;

(III) The assessment proceedings of all such dealers due for completion by the end of the calendar year 2004 under the provisions of sub-section (8) of Section 27 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), have to be completed before the expiry of the calendar year 2004;

(IV) Correct assessment of such dealers, on merits have to be made by the said authorities after affording them a reasonable opportunity of being heard;

(V) Despite efforts being made by the said authorities to complete such assessment proceedings by the end of the calendar year 2004 such proceedings cannot be completed by end of the said period; and

(VI) The aforesaid proceedings need to be completed.

P.T.O. ..2

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby extends upto 31st January, 2005, the period for completion of every such assessment proceedings under the said Acts in respect of every dealer pending before the Assistant Commissioner of Commercial Tax, Commercial Tax Officers and Assistant Commercial Tax Officers which is not completed by the 31st December, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Misra)
Deputy secretary